राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
Directorate of Mines & Geology
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001/Khanij Bhawan, Udaipur-313 001
दूरभाष – Phones : (0294) – 2415091-95 Exten. फेक्स/Fax : (0294)-2410526
email – po.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– निदे/प–5(21)2022–23/1886 उदयपुर, दिनांकः–27/07/2022

कोटेशन के लिये अनुरोध

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, खनिज भवन, शास्त्री सर्कल, उदयपुर द्वारा कार्यालय में स्थापित प्रिंटरस् के प्रिन्टर कॉर्टरेज की रिफिलींग की सेवा प्रदायगी हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

कॉर्टरेज की रिफिलींग की सेवा प्रदायगी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क. सं.	विवरण	अनुमानित लागत (रूपये में)
1	एच.पी प्रिन्टर की कॉर्टरेज 12–ए की रिफिलींग	75000/–
2	रीको प्रिन्टर एसपी–200 की कॉर्टरेज रिफिलींग	
3	ब्रदर प्रिन्टर mfc7860dw की कॉर्टरेज रिफिलींग	
4	कोनिका मिनाल्टा bizhub164 प्रिन्टर की कॉर्टरेज रिफिलींग	
5	एच.पी p-1108 प्रिन्टर की कॉर्टरेज hp-88 की रिफिलींग	
6	केनन MFb31Cn प्रिन्टर की कॉर्टरेज रिफिलींग	

1. कोटेशन का पूर्ण विवरण एव शर्ते विभागीय वेबसाईट http://www.mines.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
2. कोटेशन प्रपत्र इस कार्यालय से दिनांक 29.07.2022 दोपहर 1:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।
3. कोटेशन जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 29.07.2022 सांय 4:00 बजे तक है।
4. कोटेशन दिनांक 29.07.2022 को सांय 4:30 बजे खोले जायेगें।

(महेश माथुर)
अतिरिक्त निदेशक (खान–मु0)

क्रमांकः– निदे/प–5(17)2022–23/1887–1888 उदयपुर, दिनांकः–27/07/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एस. के0का0उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कोटेशन के लिये अनुरोध को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे ।

2– नोटिस बोर्ड,के0का0,राज0उदयपुर

अतिरिक्त निदेशक (खान–मु0)

कार्य की विशेष शर्तें :-

1. कोटेशन में उपरोक्त दर्शाये गये रिफिलींग की सेवा प्रदायगी की राशि अनुमानित है जो कम हो सकती है । दरो के अनुमोदन होने की दिनांक से दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी। जिसे नियमानुसर 3 माह के लिये बढाया जा सकेगा।
2. रिफिलींग कार्य हेतु आदेशित किये जाने की दिनांक से 1 दिवस की अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा एवं उक्त अवधि व्यतित होने पर रु 100/- प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति राशि वसूलनीय होगी। यदि आपूर्ति/कार्य समय पर या सन्तोषप्रद ढंग से नहीं किया गया तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा। बोलीदाता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विभाग पूर्ण कार्यवाही करेगा जिसमें प्रशासनिक असुविधा का व्यय भी सम्मलित होगा तथा पार्टी द्वारा प्रस्तुत बिल में से राशि काट ली जावेगी ।
3. रिफिलींग कार्य सन्तोषप्रद होने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा । बार बार शिकायत आने पर 7 दिन का नोटिस देकर कोटेशन को निरस्त किया जा सकेगा ।

(महेश माथुर)
अतिरिक्त निदेशक (खान-मुख्यालय)

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
Directorate of Mines & Geology
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001/Khanij Bhawan, Udaipur-313 001
दूरभाष – Phones : (0294) – 2415091-95 Exten. फेक्स/Fax : (0294)-2410526
e-mail – po.mg@rajasthan.gov.in

बोलीदाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देशं :–

1. समस्त कोटेशन के लिये अनुरोध कार्यवाही राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के अन्तर्गत की जा रही है । अतः इनके प्रावधान प्रभावी रहेगें ।
2. कोटेशन निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अस्वीकार कर दिया जावेगा। कोटेशन प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं । कोटेशन दिनांक 29.07.2022 दोपहर 1:30 बजे तक निदेशालय के कमरा नम्बर 236 में उपस्थित होकर प्राप्त किये जा सकते है। कोटेशन प्रपत्र विभागीय वेबसाईट https://www.mines.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते है।
3. कोटेशन दिनांक 29.07.2022 सांय 4:00 बजे तक निदेशालय के कमरा नम्बर 236 में जमा करवाये जा सकेगे। डाक/कुरियर से प्रषित कोटेशन भी दिनांक 29.07.2022 को सांय 4:00 बजे तक निदेशालय के कमरा नम्बर 236 में प्राप्त होने आवश्यक है। देरी से प्राप्त कोटेशन पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा। कोटेशन दिनांक सांय 4:00 बजे तक उपस्थित बोलीदाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे।
4. कोटेशन फार्म सही तरीके से प्रत्येक कॉलम की पूर्ति करते हुये स्याही या टाईप से भरा जाये । दरे कोटेशन प्रपत्र में दिये गये स्थान पर ही भरी जावें। किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं की जाये। ओवरराईटिंग होने पर लधु हस्ताक्षर करें। अपूर्ण कोटेशन तथा सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोटेशन फॉर्म एवं उसके साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता को कोटेशन की शर्तो पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने एवं कोटेशन के अन्त में हस्ताक्षर करना अनिवार्य हैं।
5. बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित दरें समस्त करों सहित एवं निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर में कार्य हेतु FOR डेस्टीनेशन प्रस्तुत करनी होगी।
6. बोलीदाता द्वारा कोट की गई दरें कोटेशन खोलने से 3 माह तक वैध होगी।
7. न्यूनतम बोलीदाता (L1) का चयन सकल कार्य की जोड़ के आधार पर किया जायेगा। L2/L3/ आदि बोलीदाता की आयटम वाईस न्यूनतम दरों के अनुसार न्यूनतम बोलीदाता (L1) से नेगोशियेसन किया जा सकेगा। यदि L1 बोलीदाता L2/L3/.... आदि बोलीदाता की आयटम वाईस न्यूनतम बोली को स्वीकार नहीं करेगा तो L2 बोलीदाता को काउन्टर ऑफर दिया जा सकेगा, L2 बोलीदाता के अस्वीकार करने पर **इसी तरह** L3/... आदि बोलीदाता को काउन्टर ऑफर दिया जा सकेगा।
8. सफल बोलीदाता द्वारा कीमतें, कीमत गिरने के क्लॉस के अधिन होगी। यदि सफल बोलीदाता द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को भी इस कार्य हेतु कम दरें कोट की जाती है अथवा दरें कम की जाती है तो कीमत कोट करने या कम करने की तारीख से इस दर संविदा में कोट की गई दरें स्वतः कम हो जायेगी ।
9. अपरिहार्य कारणों से यदि कोटेशन प्राप्त किये जाने/खोले जाने की दिनांक को अवकाश रहता है तो कोटेशन प्राप्त किये जाने/खोले जाने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस को होगी।

10. अपूर्ण व सशर्त कोटेशन को स्वीकार नही किया जायेगा।
11. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष Canvassing करना अयोग्यता होगी।
12. न्यूनतम दरों को स्वीकार करने के लिये विभाग बाध्य नहीं है एवं प्राप्त कोटेशन को अथवा उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
13. सफल बोलीदाता को कार्यादेश के अनुसार कार्य/सेवा को पूर्ण करना होगा। यदि बोलीदाता निविदा प्रकिया या कार्य संबंधी कोई जानकारी चाहता हो तो दिनांक 29.07.2022 दोपहर 1:30 बजे तक कार्यालय समय में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
18. कार्य/सेवा हेतु भुगतान कार्य की संतोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा। भुगतान के समय नियमानुसार स्त्रोतों पर कर कटौती एवं GST की कटौती के प्रावधान लागू होंगे।
19. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा तथा न ही किसी प्रकार का ब्याज दिया जायेगा।
20. भुगतान में किसी भी प्रकार के विलम्ब हेतु किसी भी प्रकार का ब्याज विभाग के द्वारा देय नहीं होगा।
21. निविदा के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होगेः–
    1. GST नम्बर व GST पंजीकरण प्रमाण पत्र।
    2. घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में)
    3. बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित संपूर्ण बोली दरतावेज वर्णित शर्तो नियमों एवं निर्देशो में उनकी स्वीकृति के रूप में ।
    4. स्वयं सत्यापित PAN कार्ड की कॉपी।
    5. अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो।
22. निदेशालय में सुचारू रूप से कार्य सम्पादन की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। कार्य के दौरान आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना आदि से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी स्वंय बोलीदाता की होगी विभाग द्वारा इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
23. निदेशालय में कार्य हेतु बोलीदाता द्वारा लगाये गये कर्मचारी की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। बोलीदाता अपने लगाये हुए कर्मचारी के आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना आदि से किसी भी नुकसान या क्षति, के लिये बीमा करा सकता है एवं बीमा का सारा खर्च स्वयं बोलीदाता को वहन करना होगा ! विभाग द्वारा इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
24. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, खनिज भवन, उदयपुर के पास कार्य के सम्पादन के लिए नियमों और शर्तो को बदलने, सही करने व संशोधित करने का अधिकार होगा।
25. कार्य की अवधि कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी तथा कार्य संतोषप्रद होने पर एवं विभाग की आवश्यकतानुसार नियमानुसार कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है।
26. सफल फर्म द्वारा कार्यादेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर कार्यादेश समाप्त करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा एवं इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
27. कोई भी विधिक विवाद होने पर सक्षम न्यायालय उदयपुर में ही वाद दायर किया जा सकता है।
28. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के नियम कोटेशन का हिस्सा होगें तथा प्रभावी माने जायेगे।

(महेश माथुर)
अतिरिक्त निदेशक (खान–मुख्यालय)

घोषणा

मैं / हम घोषणा करते हैं कि कोटेशन में की गयी प्रविष्टियां मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास में सही हैं। मैं / हम यह भी पुष्टि करते हैं कि मैंने /हमने इस कोटेशन दस्तावेज में निहित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इसकी पालना करने के लिए सहमत हैं।

मैं / हम यह मानते हैं कि उपरोक्त तथ्यों / सूचनाओं को झूठा पाया गया तो डीएमजी, उदयपुर अपने पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी असाइनमेंट को अस्वीकार / रद्द कर सकता है और इस तरह के मामले में मैं / हम उस असाइनमेंट के संबंध में किसी भी नुकसान / दावा करने के हकदार नहीं होगे ।

मैं / हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य उच्चतम श्रेणी और गुणवत्ता वाला होगा। मैं / हम इसके गुणपूर्णता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। गुणवत्ता में यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी/क्षतिपूर्ति हमारी होगी।

हस्ताक्षर बोलीदाता
(मय फर्म सील)

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
Directorate of Mines & Geology
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001/Khanij Bhawan, Udaipur-313 001
दूरभाष – Phones : (0294) – 2415091-95 Exten. फैक्स/Fax : (0294)-2410526
email – po.mg@rajasthan.gov.in

कोटेशन प्रपत्र

1. कॉर्टरेज की रिफिलींग की सेवा प्रदायगी हेतु कोटेशन
2. बोलीदाता का नाम एवं पता --

मोबाईल नम्बर ------------------------------------

3. कोटेशन विवरण :–

क्र. सं.	1. विवरण	रिफिलींग हेतु सामग्री का मेक	दर प्रति ईकाई सभी करों सहित (रु. में)
1	एच.पी प्रिन्टर की कॉर्टरेज 12–ए की रिफिलींग		
2	रीको प्रिन्टर एसपी–200 की कॉर्टरेज रिफिलींग		
3	ब्रदर प्रिन्टर mfc7860dw की कॉर्टरेज रिफिलींग		
4	कोनिका मिनाल्टा bizhub164 प्रिन्टर की कॉर्टरेज रिफिलींग		
5	एच.पी **p-1108** प्रिन्टर की कॉर्टरेज hp-88 की रिफिलींग		
6	केनन **MFb31Cn** प्रिन्टर की कॉर्टरेज रिफिलींग		
	योग		

2. मेरे/हमारे द्वारा उक्त अतिरिक्त निदेशक (खान–मु0), उदयपुर द्वारा जारी कोटेशन के लिये अनुरोध सूचना क्रमांक........................दिनांक .... एवं इस प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो का अध्ययन, अवलोकन एवं मनन कर लिया है और समस्त शर्तो से सहमत हैं एवं इन शर्तो की स्वीकृति के क्रम में शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
3. मेरे/हमारे द्वारा उक्त दरें सम्पूर्ण कोटेशन के लिये अनुरोध डॉक्युमेन्ट पढने के बाद ही कोट की गई है।
4. प्रस्तावित दरें अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी। अवधि को को नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर